फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 01/2015** **रामजतन प्रजापति बनाम् राज्य एवं बुधुवा उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–54 R/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त वाद में आवेदक को सुनते हुये दिनांक–17.07.2017 को सुनवाई हेतु वाद अंगीकृत किया गया। उभयपक्षों के द्वारा अंतिम हाजिरी दिनांक–01.07.2019 को दी गयी। उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक एवं विपक्षी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। इस वाद में अपना पक्ष रखने हेतु आवेदकों को दिनांक–10.01.2022, 24.02.2022 तथा 21.03.2022 को लगातार मौके दिये गये किन्तु वे न्यायालय से अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–टीमटा, प्लॉट नम्बर–67, खाता नम्बर–85 में अवस्थित 06 डिसमिल भूमि को विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा 80,000/– रुपया प्रति डिसमिल मुआवजा के आधार पर विनियमित कर दिया गया। यह आदेश बिना उचित तथ्यों के जाँच–पड़ताल किये कतिपय अन्य कारणों के आधार पर पारित किये गये थे, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। आवेदकों का दावा कथित रूप से खतियानी रैयत से सादा बिक्री पत्र के आधार पर 40 वर्ष पूर्व किये गये क्रय पर आधारित है। स्पष्टतः ऐसे बिक्री पत्र की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। आदिवासी रैयती भूमि को इस प्रकार बिक्री किया जाना कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा किये गये स्थल जाँच में यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् भूमि पर किये गये निर्माण वर्ष–2010 के आस–पास किये गये थे। अतः Schedule Area Regulation–1969 के लागू होने के पूर्व	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	कोई निर्माण भी उक्त भूमि पर अवस्थित नहीं थे। स्पष्टतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैध थे, जिन्हें अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द किया गया है। आवेदकों के द्वारा पुनः पुनरीक्षण वाद में कोई नया तथ्य नहीं देकर मात्र न्यायिक प्रक्रिया में भूमि वापसी के दावे को लम्बित रखा गया है। आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि भी नहीं है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुये वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 15:26:56 +05:30
Location: 192.168.1.40